चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः परीक्षा/ 5361
दिनांकः 22-09-21

अधिसूचना

ऐसे विद्यार्थी जो बाह्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के पश्चात इस विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होते हैं को प्रवेश के समय मूल Migration Certificate सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय द्वारा तय समय सीमा में उक्त Migration Certificate परीक्षा फार्म के साथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित करना अनिवार्य है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये उपर्युक्त के आलोक में वर्तमान में कुछ सुधारों के साथ Migration Certificate सम्बन्धी निम्न नए दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1- ऐसे सभी संस्थागत छात्र जो बाह्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होते हैं को प्रवेश के समय सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग में अपना मूल Migration Certificate/अथवा Computer generated Migration Certificate/अथवा Digilocker से प्राप्त Migration Certificate जमा करना अनिवार्य है।
2- महाविद्यालय/विभागों को प्रवेश तिथि से एक माह के भीतर Migration Certificate विश्वविद्यालय में कुलसचिव कार्यालय को प्राप्त कराना आवश्यक होगा।
3- किन्हीं परिस्थितियों के कारण यदि एक माह के भीतर Migration Certificate विश्वविद्यालय में जमा नहीं होता है तो अंकन रू0 250/- (दो सौ पचास रूपये मात्र) प्रति Migration Certificate की दर से विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश तिथि से दो माह तक Migration Certificate स्वीकार करने की शक्ति कुलसचिव में निहित होगी।
4- असाधारण परिस्थितियों में Migration Certificate जमा न होने की स्थिति में माननीय कुलपति जी की स्वीकृति से रू0 500/- (पाँच सौ मात्र) विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश तिथि से 3 माह के भीतर Migration Certificate विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
5- ऐसे छात्र जिनका प्रवेश तिथि के तीन माह के भीतर Migration Certificate विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया गया है, को परीक्षा फार्म नहीं भरने दिया जायेगा।
6- व्यक्तिगत प्रणाली के ऐसे छात्र जो बाह्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से आये हैं के परीक्षा फार्म सम्बन्धित पंजीकरण केन्द्र (महाविद्यालय) में जमा करते समय Migration Certificate भी जमा करना होगा। पंजीकरण केन्द्र/महाविद्यालय उन्हीं छात्रों के परीक्षा फार्म Online verify करेंगे जिन्होंने Migration Certificate जमा कर दिया है।
7- यदि किसी कारणवश ऐसे छात्र जो बिना Migration Certificate जमा किये परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, का परीक्षा परिणाम अवरूद्ध कर दिया जायेगा तथा अगली परीक्षा हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा।
8- कोई भी Migration Certificate विश्वविद्यालय में सीधे छात्र से स्वीकार नहीं होगा। यह सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग का दायित्व होगा कि वह कुलसचिव कार्यालय में अपनी अनुशंसा/प्रवेश तिथि इत्यादि का उल्लेख करते हुए छात्रों का Migration Certificate जमा करें।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

01. प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक–प्रति कुलपति को, माननीय प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक–परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
06. वयैक्तिक सहायक–वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. सहा0 कुलसचिव/प्रभारी–अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. सहा0 कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल) को सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त अनुभाग प्रभारी (पूछताछ केन्द्र/सूचना पट)।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. गार्ड फाईल–"परीक्षा सम्बन्धी नियम"।

07/09/21

सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)